

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 05 अगस्त, 2011

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1765 / सी०आर०ए०(दै०आ०), दिनांक 25.7.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवी आपदा राहत कार्यों हेतु कार्यालय व्यय/लेखन सामग्री आदि मदों में व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रु० 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-1 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

14.12.2011
(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या - 2309(1)/1-10-2011-33(199)/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा) / (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, सहारनपुर।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, सहारनपुर।
4. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(21/04/2011)
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव।